संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A3-77/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक 16 दिसम्बर, 2019

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्याः मान्यता/सम्बद्धता/2018/175 दिनांक 28.06.2018 एवं पत्र संख्या 360/मान्यता/2019–20 दिनांक 11/14 जून, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **राजकीय महाविद्यालय भिकियासैंण, अल्मोड़ा** को **बी0एस–सी0 (वनस्पति, रसायन एवं जन्तु विज्ञान)** पाठ्यक्रम में सत्र 2018–19 का सत्र प्रारम्भ न होने के कारण सत्र 2019–20 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का अनुरोध किया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 की सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा उक्त महाविद्यालय को **बी0एस–सी0 (वनस्पति, रसायन एवं जन्तु विज्ञान)** पाठ्यक्रम में 35 सीटों के साथ सत्र 2019–20 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता पर पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान कर दी गई है कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 के मानकों के पूर्ण होने की दशा में अस्थाई सम्बद्धता विषयक निर्णय लेकर आदेश यथाशीघ्र जारी करेगी व विद्यालय की फैकल्टी की अर्हता विषयक अनुमोदन प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय तीन माह के भीतर जारी करेगी तथा कृत कार्रवाई की सूचना इस सचिवालय को मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ उपलब्ध कराई जायेगी।

3– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 3329 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A3-77/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)
कुलाधिपति के उप सचिव।